कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

निर्वाचन भवन, द्वितीय तल, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल

(ए–198 / रासूआ / 35–1 / शिवपुरी / 2006)

श्री अरविन्द जैन अपीलकर्ता
महावीरपुरा नरवर,
जिला शिवपुरी

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री **लोक सूचना अधिकारी**
सिंघ परियोजना,पक्का बांध संभाग,
मड़ीखेड़ा, जिला शिवपुरी

अधीक्षण यंत्री, **प्रथम अपीलीय अधिकारी**
सिंघ परियोजना बांध मण्डल,
जिला शिवपुरी

आदेश

(दिनांक 26.07.06)

यह अपील श्री अरविन्द जैन ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत की है । अपीलकर्ता ने लोक सूचना अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग मड़ीखेड़ा, शिवपुरी के पास दिनांक 18.11.05 को एक आवेदन पत्र देकर मड़ीखेड़ा बांध में उपयोग किये गये सरियों की विभागीय लेबोरेटरी की जांच रिर्पोट की मांग की थी। इस आवेदन पर कार्यवाही करते हुए कार्यपालन यंत्री ने अपीलकर्ता को दिनांक 24.01.06 को पत्र लिखकर सूचित किया था कि अपीलकर्ता समय समय पर सरियों के लेबोरेटरी जांच की मांग करते रहते हैं लेकिन उसे लेने के लिये कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं । इसलिये यह कहना कि उन्हें जांच रिर्पोट नहीं दी जा रही सही नहीं है। उन्हें सरियों की जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के लिये आवश्यक शुल्क जमा करने के निर्देश दिये गये और इसके साथ ही सरियों की जांच रिपोर्ट की प्रति भी निशुल्क भेजने का उल्लेख किया गया हैं । अपीलकर्ता को यह भी बताया गया है कि वह इस आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील कर सकते हैं।

2. अपीलकर्ता ने प्रथम अपील अधीक्षण यंत्री एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की थी । प्रथम अपीलीय अधिकारी ने इस सम्बन्ध में दिनांक 07.03.06 को आदेश पारित किया है। इस आदेश में उन्होंने यह बताया है कि अपीलकर्ता को 6 रिर्पोट कार्यपालन यंत्री द्वारा डॉक से भेजी है और उन्होंने कार्यपालन यंत्री को चेतावनी दी है । उन्होंने यह निर्देश दिये हैं कि कार्यपालन यंत्री सूचना का अधिकार अधिनियम अपील के अन्तर्गत यदि जानकारी की मांग की जाती है तो वह समय पर उपलब्ध कराई जाये । इस प्रकार का कृत्य भविष्य में न हो।

3. अपीलकर्ता ने इस अपील में यह मुद्दा उठाया है कि उन्हें विभाग के द्वारा मड़ीखेड़ा बांध में जो सरिये लगाये जा रहे हैं उसकी टेस्ट रिपोर्ट नहीं दी गई है। यह प्रकरण 25 जुलाई 2006 को सुनवाई के लिये रखा गया था इसमें अपीलकर्ता स्वयं उपस्थित हुए और लोक सूचना अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री मढ़ीखेड़ा बांध तथा अधीक्षण यंत्री एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी उपस्थित हुए । सुनवाई के दौरान लोक सूचना अधिकारी ने यह बताया है कि बांध के कार्य में जिन सरियों का उपयोग होता है या निर्माण कार्य में जिन सरियों का उपयोग होता है वह विभाग द्वारा टेस्ट नहीं किये जाते है । निर्माता द्वारा गुणवत्ता का प्रमाण पत्र दिया जाता है उसे स्वीकार किया जाता है। जब कभी भी सरियों का क्रय ठेकेदार के द्वारा किया जाता है या सप्लायर द्वारा विभाग को दिया जाता है तो निर्माता के द्वारा गुणवत्ता का प्रमाण पत्र भी दिया जाता है उन्होंने बताया कि इस प्रकार की व्यवस्था ''स्पेसिफिकेशन फार इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वाल्यूम–II के पैरा 13.3.2.3 में दी गई है। इसलिये विभाग के द्वारा सरियों के गुणवत्ता के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं कराई जाती है। ठेकेदार द्वारा जो प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाता है उसे स्वीकार किया जाता है। यदि अपीलकर्ता इस प्रमाण पत्र को चाहता है तो वह उसे प्रदान किया जा सकता है।

4. अपीलकर्ता का यह कहना है कि यह बात उन्हें पहले नहीं बताई गई थी, पहले बता दी जाती तो उन्हें यहां आने की आवश्यक्ता नहीं होती।

5. इस प्रकरण को देखने से यह स्पष्ट होता है कि विभागीय निदेशों के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से जानकारी लोक सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलकर्ता को नही दी गई है और न ही प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा दी गई है । अपीलीय अधिकारी ने जो आदेश पारित किया है वह भी सुस्पष्ट नहीं है । उन्होंने केवल कार्यपालन यंत्री के द्वारा जो कार्यवाही की गई है उसमें खामिया निकालने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया गया है। अधीक्षण यंत्री को विभागीय नियमों का पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए तथा उनमें अधीनस्थ अधिकारियों को मार्ग दर्शन देने की क्षमता होनी चाहिये। इस प्रकरण को देखने से यह लगता है कि उन्होंने बिना विचार किये आदेश पारित किया गया है। उन्होंने चाहिये था कि यदि वह कार्यपालन यंत्री व लोक सूचना अधिकारी के द्वारा इस प्रकरण में कार्यवाही करने में कोई कमी रह गई थी तो वह उसे दूर करते ।

6. इस प्रकरण से स्पष्ट है कि विभाग के द्वारा सरियों की गुणवत्ता की टेस्टिंग नहीं की जाती है। ऐसी स्थिति में यदि अपीलकर्ता सप्लायर के द्वारा निर्माता की जो टेस्ट रिर्पोट दी जाती है अगर वह उन्हें चाहिये तो उन्हें यह प्रदान की जा सकती है। यदि अपीलकर्ता यह जानकारी चाहते हैं तो निर्धारित शुल्क जमा करके यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । इस निर्णय के साथ इस प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

(टी0एन0श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त
26.07.06